फार्म—ए0

न्यायालयः—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर
निर्णय की तिथि—29.04.2026
सत्र—वाद संख्या—369 / 2018
सी0आई0एस0 संख्या—369 / 2018
(जमालपुर थाना कांड संख्या—140 / 2018)

उपस्थित :— **आलोक गुप्ता**

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेर।

परिवादी / सूचक	**नीतीश कुमार, पिता**—विरेंद्र प्रसाद सिंह, साकिन—बेली, थाना—धौरैया, जिला—बॉका।
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अपर लोक अभियोजक, श्री संतोष मिश्र (2)
अभियुक्त	**1. गोविंद कुमार**, पिता—राम रतन तॉती, साकिन—नया टोला, फुल्का, थाना—जमालपुर, जिला—मुंगेर। **2. रौशन कुमार,** पिता—भागीरथी यादव, साकिन—परिया सोतीपुर, थाना—बरियारपुर, जिला—मुंगेर।
प्रतिनिधित्व द्वारा	विद्वान अधिवक्ता—श्री मनोज कुमार साह।

घटना की तिथि	21.05.2018
प्राथमिकी की तिथि	21.05.2018
आरोप पत्र की तिथि	22.08.2018
आरोप गठन की तिथि	18.02.2019
साक्ष्य के प्रारंभ होने की तिथि	01.04.2019
निर्णय हेतु निश्चित करने की तिथि	29.04.2026
निर्णय की तिथि	29.04.2026
सजा आदेश की तिथि	

न्यायालयः—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर
निर्णय की तिथि—29.04.2026
सत्र—वाद संख्या—369 / 2018
सी0आई0एस0 संख्या—369 / 2018
(जमालपुर थाना कांड संख्या—140 / 2018)

अभियुक्तगण का विवरण:-

Name of the Accused persons	Date of Arrest/ Surrender	Date of Release on Bail	Offences Charged with	Whether Acquitted or convicted	Sentence Imposed	Period of Detention undergone during Trial for purpose of section 428 Cr.P.C.
गोविंद कुमार	26.05.2018	29.08.2018	धारा—395 भा0द0वि0	अभियुक्त को रिहा किया गया		
रौशन कुमार	26.05.2018	18.02.2019	धारा—395 भा0द0वि0	अभियुक्त को रिहा किया गया		

ए0.—अभियोजन की ओर से इस वाद में मात्र एक साक्षी को प्रस्तुत किया गया हैः—

क्र0 स0	अभियोजन साक्षी क्रम0 स0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
01.	अभियोजन साक्षी संख्या—01	शशिभुषण	साक्षी

बी.—बचाव पक्ष की ओर से साक्षी, यदि हों—

क्र0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
	—	

सी.—न्यायालय साक्षी, यदि हों—

क्र0 सं0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
	—	

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदशों की सुचिः—
ए0—अभियोजनः—

क्र0 सं0	**प्रदर्श**	**विवरण**
01.	प्रदर्श—पी0—01	औपचारिक प्राथमिकी
02.	प्रदर्श—पी0—02	आरोप—पत्र

बी0—बचाव पक्षः—

न्यायालयः—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मुंगेर
निर्णय की तिथि—29.04.2026
सत्र—वाद संख्या—369 / 2018
सी0आई0एस0 संख्या—369 / 2018
(जमालपुर थाना कांड संख्या—140 / 2018)

क0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	—	

सी0—न्यायालयः—

क0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	—	

डी0—वस्तु प्रदर्शः—

क0 सं0	प्रदर्श संख्या	विवरण
	—	

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद के दो अभियुक्तगण **1. गोविंद कुमार, 2. रौशन कुमार** का सत्र विचारण, उनके विरूद्व अधिरोपित सारभूत आरोपों अंतर्गत धारा—395 **भा0 द0 वि0** किया गया है।

2. संक्षेप में, **नीतीश कुमार, पिता**—विरेंद्र प्रसाद सिंह, साकिन—बेली, थाना—धौरैया, जिला—बॉका का लिखित आवेदन इस प्रकार हैः—

दिनांक—21.05.2018, समय लगभग 14:45 बजे सूचक और उसके सहयोगी उदय कुमार स्टेट बैंक, जमालपुर के उपर तल्ला पर भारत फार्डनान्स इक्क्लुशन लिमिटेड के कार्यालय से 4,95,600/—रूपये निकालकर कर काला लाल बैग में भर के स्टेट बैंक के बगल में एच0डी0एफ0सी0 बैंक जा रहा था। जब जय बंगला मिष्ठान स्टेट के समीप गली में पहुॅचा तो दो युवक श्यामला रंग पहनावा लाल रंग, दूसरा काला रंग कपड़ा पहना, पीछे से दौड़ता हुआ आया और उक्त रूपये को छिनने के क्रम में सर पर पिस्टल सटा दिया तथा बैग जबरन छिन कर भागने लगा। हम दोनों हल्ला किये तो देखे आगे और दो व्यक्ति बाईक लगा के खड़ा था, वो दोनों उस पर बैठ कर भाग गया। उक्त व्यक्तियों के द्वारा पैसा छिन कर भाग गया।

3. उपरोक्त घटना के संदर्भ में सूचक द्वारा लिखित आवेदन थानाध्यक्ष, आदर्श थाना, जमालपुर को दिया, जिसके आधार पर **जमालपुर थाना कांड संख्या—140/2018 दिनांक 21.05.208** अन्तर्गत **धारा—395 भा0द0वि0** के तहत प्राथमिकी दर्ज हुआ।

4. अनुसंधान पुर्ण होने के पश्चात् संबंधित अनुसंधानकर्ता के द्वारा प्राथमिकी के नामजद अभियुक्तगण **1. रौशन कुमार, 2. सुरज कुमार और 3. गोविंद कुमार के** विरूद्ध **आरोप पत्र संख्या—239/18 दिनांक 22.08.2018 धारा अंतर्गत—395, भा0द0वि0**

समर्पित किया गया एवं **दिनांक 25.10.2018** को **1. रौशन कुमार, 2. सुरज कुमार और 3. गोविंद कुमार के विरूद्ध धारा—395 भा0द0वि0 के अं**तर्गत **संज्ञान** लिया एवं दिनांक **26.11.2018** को प्रस्तुत वाद को **दौरा सुपुर्दगी** किया गया और सत्र न्यायालय में प्राप्त हुआ।

5. दौरा सुपुर्दगी के पश्चात् प्रस्तुत कांड का अभिलेख सत्र न्यायालय को प्राप्त हुआ जहाँ पर इसे **सत्र विचारण 369/2018** के रूप में **पंजीकृत** किया गया और प्रस्तुत कांड के अभियुक्तगण **1. रौशन कुमार, 2. सुरज कुमार और 3. गोविंद कुमार** के विरूद्ध **आरोप गठन** हेतु सुनिश्चित किया गया एवं उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा—395 **भा0 द0 वि0** में आरोप गठन दिनांक **18.02.2019** को किया गया और उसे हिन्दी में अनुवाद कर अभियुक्तगण को सुनाया एवं समझाया गया, जिसे अभियुक्तगण ने उक्त आशय के अपराध कारित किये जाने का विरोध किया तथा न्यायालय के समक्ष विचारण का दावा प्रस्तुत किया।

प्रस्तुत वाद के आदेश फलक 02.04.2026 के अनुसार अभियुक्त सुरज कुमार की मृत्यु दिनांक 28.10.2025 को हो गई।

अतः अब प्रस्तुत वाद मात्र दो अभियुक्त 1. रौशन कुमार और 2. गोविंद कुमार के विरूद्ध लंबित है।

6. विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किये गये मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त अभियुक्तगण **1. रौशन कुमार और, 2. गोविंद कुमार** का बयान दिनांक—अन्तर्गत **धारा—313 अन्तर्गत दं0प्र0सं0 दिनांक—29.04.2026 को** लेखवद्व किया गया, जिसमें उक्त अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया है।

7. **न्यायालय के समक्ष, मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि ''क्या अभियोजन पक्ष, अपने द्वारा लाये गये उक्त आरोपों को, उपरोक्त अभियुक्तगण 1. रौशन कुमार और, 2. गोविंद कुमार के विरूद्ध, युक्तियुक्त सभी शंकाओं से परे साबित करने में पूर्णतया सफल हो सके, अथवा, नहीं?''**

मन्तव्य

अभियोजन साक्ष्यः—

अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में मात्र एक साक्षी को प्रस्तुत किया गया है :—

अभियोजन साक्षीः—

क0 स0	अभियोजन साक्षी कम0 स0	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, चिकित्सा साक्षी, पंच साक्षी अन्य साक्षी)
01.	अभियोजन साक्षी संख्या—01	शशिभुषण	साक्षी

8. **अभियोजन साक्षी संख्या—01, शशिभुषण** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हुं। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ।

अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। उक्त साक्षी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त के मेल में आकर सही तथ्य छिपा लिया हुं और झुठी गवाही दिया हुं।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि आज न्यायायल में अपनी स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के गवाही दिया हुं।

10. अभियोजन पक्ष की आरे से प्रस्तुत किये गये दस्तावेजी साक्ष्यः—

क0 सं0	प्रदर्श	विवरण
01.	प्रदर्श—पी0—01	औपचारिक प्राथमिकी
02.	प्रदर्श—पी0—02	आरोप—पत्र

प्रस्तुत वाद के आदेश—फलक दिनांक 28.04.2026 के अनुसार अभियोजन साक्ष्य अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर बंद किया जाता है।

सफाई साक्ष्यः—(ए0)

11. प्रस्तुत कांड के अभियुक्त **1. रौशन कुमार और, 2. गोविंद कुमार** ने **दिनांक—29. 04.2026 को** द0प्र0स0 की धारा—313 के अंतर्गत अपने बयान में घटना कारित किये जाने से इंकार किया है और स्वयं को निर्दोष बताया है।

विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुतियाँः—

12. विद्वान अपर लोक अभियोजक द्वारा **एक साक्षी** को परीक्षित कराया गया है और **दो प्रदर्श** चिन्हित कराया गया है।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभियुक्त की ओर से प्रस्तुतियाँः—

13. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया है कि प्रस्तुत कांड के अभियुक्तगण के विरूद्व कोई मामला नहीं बनता है। **अभियोजन साक्षी संख्या—01, शशिभुषण**

ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हुं। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ।

अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। उक्त साक्षी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त के मेल में आकर सही तथ्य छिपा लिया हुं और झुठी गवाही दिया हुं।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि आज न्यायायल में अपनी स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के गवाही दिया हुं।

उसके बाद बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने इंगित किया है कि किसी भी अभियोजन साक्षी ने प्रस्तुत कांड का समर्थन नहीं किया है। तद्नुसार प्रस्तुत कांड के आरोपी व्यक्ति मुक्त होने के पात्र हैं।

न्यायालय निष्कर्षः—

14. प्रस्तुत कांड अभियुक्तगण **1. रौशन कुमार और 2. गोविंद कुमार** के विरूद्व धारा 395 **भा0 द0 वि0** के तहत आरोप है। **अभियोजन साक्षी संख्या—01, शशिभुषण** ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के बारे में कुछ नहीं जानता हुं। पुलिस के समक्ष मेरा बयान नहीं हुआ।

अभियोजन पक्ष के अनुरोध पर साक्षी को पक्षद्रोही घोषित किया गया। उक्त साक्षी ने अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में कहा है कि ऐसी बात नहीं है कि अभियुक्त के मेल में आकर सही तथ्य छिपा लिया हुं और झुठी गवाही दिया हुं।

उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में कहा है कि आज न्यायायल में अपनी स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के गवाही दिया हुं।

उपरोक्त मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करते हुये ज्ञात होता है कि **प्रस्तुत वाद के आदेश फलक 02.04.2026 के अनुसार शेष साक्षियों के विरूद्व अजमानतीय बारंट निर्गत किया गया परंतु शेष साक्षी उपस्थित नहीं हुये। अतः** मेरा मानना है कि अभियोजन पक्ष युक्तियुक्त सभी उचित संदेहों से परे अपना मामला साबित करने में असफल रहा है।

आदेश

अतः यह न्यायालय, उपरोक्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण **1. रौशन कुमार और, 2. गोविंद कुमार** के विरूद्व **धारा—395 भा0द0वि0** के आरोप से मुक्त

करने का आदेश देती है। अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अभियुक्त विचारण के दौरान जमानत प्राप्त किये हुए है।

अतः अभियुक्तगण एवं उनके जमानतदारों को जमानत बंधपत्र के दायित्वों से पुर्णतया स्वतंत्र करने का आदेश देती है।

(लेखापित एवं शुद्धिकृत)

(आलोक गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेर।
29.04.2026

(आलोक गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
मुंगेर।
29.04.2026